पीएम स्व-निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल

चर्चा में क्यों?

17 नवंबर, 2022 को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 'पीएम स्वनिधि योजना' के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। योजना में अभी तक मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 498 करोड़ 77 लाख रुपए का ऋण वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में (20 हज़ार रुपए ऋण राशि) 97 हज़ार 508 शहरी पथ विक्रताओं को 194 करोड़ 74 लाख रुपए का ऋण वितरित कर देश में द्वितीय स्थान पर है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तृतीय चरण में 1,726 शहरी पथ विक्रेताओं को 8 करोड़ 59 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही 2 लाख 26 हज़ार स्ट्रीट बेंडर्स ने डिजिटली लेन-देन कर 3 करोड़ 15 लाख रुपए का कैशबैक प्राप्त किया है।
- यह योजना 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के लिये लागू है, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान-पत्र है।
- गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर्स को 10, 20 एवं 50 हज़ार रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म-निर्भर निधि योजना' (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।
- योजना के प्रथम चरण में 10 हज़ार रुपए का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है। इसे समय पर चुका देने पर 20 हज़ार और फिर 50 हज़ार रुपए का ऋण दिया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-tops-in-the-country-in-implementation-of-pm-svanidhi-scheme